रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA

सं० 532] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 24, 1996/आश्विन 2, 1918
No. 532] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 1996/ASVINA 2, 1918

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1996

का.आ. 650 (अ).— केन्द्रीय सरकार ने, श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की तारीख 2 सितम्बर, 1994 की अधिसूचना संख्या का.आ. 641 (अ) के तहत श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध में मजदूरी की दरों को नियत या पुनरीक्षित करने के लिए एक मजदूरी बोर्ड गठित किया है;

और उक्त मजदूरी बोर्ड बराबर अपना कार्य कर रहा है;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध में मजदूरी की अंतरिम दरें निर्धारित करना आवश्यक है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 13 (क) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त मजदूरी बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध में मूल वेतन के 20 प्रतिशत और अतिरिक्त 100 रु. प्रतिमाह की दर से, मजदूरी की अंतरिम दरें नियत करती है।

मजदूरी की अंतरिम दरें 20 अप्रैल, 1995 से देय होंगी।

[फा. सं. वी-24032/3/95-म.बो.]

दिवाकर देव, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 1996

S.O. 650(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the Working Journalists and other Newspaper employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955), has constituted a Wage Board for the purpose of fixing and revising rates of wages in respect of working journalists vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. S.O. 641 (E), dated the 2nd September, 1994;

And whereas the said Wage Board continues to function;

And whereas the Central Government is of opinion that it is necessary to fix interim rates of wages in respect of working journalists;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A, of the said Act, the Central

Government, after consultation with the said Wage Board, hereby fixes the interim rates of wages in respect of working journalists at the rate of twenty per cent. of the basic wage, and an additional amount of Rs. 100/- per month.

The interim rates of wages shall be payable with effect from 20th April, 1995.

[F. No. V-24032/3/95-WB]
DIVAKAR DEV, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1996

का. आ. 651(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 13ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की तारीख 2 सितम्बर, 1994 की अधिसूचना संख्या का.आ. 642 (अ) के तहत गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों और समाचार एजेंसी कर्मचारियों के संबंध में मजदूरी दरें नियत करने या पुनरीक्षत करने के लिए एक मजदूरी बोर्ड गठित किया है;

और उक्त मजदूरी बोर्ड बराबर अपना कार्य कर रहा है ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों और समाचार एजेंसी कर्मचारियों के संबंध में मजदूरी की अंतरिम दरें निर्धारित करना आवश्यक है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 13 (घ) के साथ पठित धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त मजदूरी बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों और समाचार एजेन्सी कर्मचारियों के संबंध में मूल वेतन के 20 प्रतिशत और अतिरिक्त 100 रु. प्रतिमाह की दर से, मजदूरी की अंतरिम दरें नियत करती है;

मजदूरी की अंतरिम दरें 20 अप्रैल, 1995 से देय होगी ।

[फा. सं. वी-24032/3/95-म. बो.]
दिवाकर देव, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 1996

S.O. 651(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 13C of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955), has constituted a Wage Board for the purpose of fixing and revising the rates of wages in respect of non-journalist newspaper employees and news agency employees vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. S.O. 642(E), dated the 2nd September, 1994;

And whereas the said Wage Board Continues to function ;

And whereas the Central Government is of opinion that it is necessary to fix interim rates of wages in respect of non-journalist newspaper employees and news agency employees;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A, read with section 13D of the said Act, the Central Government after consultation with the said Wage Board; hereby fixes the interim rates of wages in respect of non-journalist newspaper employees and news agency employees at the rate of twenty per cent. of the basic wage, and an additional amount of Rs. 100/- per month.

The interim rates of wages shall be payable with effect from 20th April, 1995.

[F. No. V-24032/3/95-WB]
DIVAKAR DEV, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996